20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

US

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल सदस्य ग्वालियर बोर्ड

जबलपुर केम्प

निगरानी – 4366/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

(598)

श्री अजय गौतम अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतकर्ता श्री S2 28 NOV 2018

कार्यालय राजस्व मंडल जबलपुर संभाग

हक्की बी पति अब्दुल कादिर

सा. उमरिया, तह. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

अजुर्न सिंह आ. श्री गिरवर सिंह राजपूत

सा. उमरिया, तह. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

.... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959 के तहत याचिकाकर्ता रा.मा. क्र. 02/अ 12 वर्ष 17–18 पक्षकार अर्जुन सिंह आ. श्री गिरवर सिंह राजपूत न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय गोटेगांव के द्वारा पारित आदेश दिनांक ~~20~~ 12/12/17 से असंतुष्ट होकर तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती है –

पुनरीक्षण के तथ्य

1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय गोटेगांव द्वारा राजस्व निरीक्षण मंडल श्रीनगर को आदेशित किया गया उक्त आवेदन पत्र 7 दिवस के अंदर सीमांकन प्रतिवेदन, नक्शा, फील्ड बुक, पंचनामा प्रस्तुत करके आदेश पारित किया गया ।

2) राजस्व निरीक्षण अधिकारी महोदय श्रीनगर ने विधिवत सूचना पत्र जारी नहीं किया गया । न ही उपस्थिति रहने का कोई नोटिस नहीं दिया गया । फर्जी ढ़ंग से तामिली की गई । याचिकाकर्ता के सूचना पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, न ही कोई हस्ताक्षर किये गये । न ही पंचनामा में हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी हैं । अवैधानिक कार्यवाही की गई ।

3) अनावेदक/उत्तरवादी ने सीमांकन करने बावत आवेदन पत्र अधीनस्थ

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी / 4366 / 2018 / नरसिंहपुर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
02 –8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय गौतम उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 02 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12–12–2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक अर्जुनसिंह राजपूत पिता श्री गिरवर सिंह राजपूत निवासी उमरिया द्वारा भूमि खसरा कमांक 292 / 1, 299 / 1, 299 / 2, 300 / 1, 300 / 3, 300 / 4, 300 / 5 रकवा 3.375 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.11.17 को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 29.11.17 को 12.00 बजे सरहददी कास्तकारों को उपस्थित होने के लिये लेख किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.11.17 को सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.12.17 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा–5 में वर्णित तथ्य समाधानकारक होने से धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में पटवारी द्वारा दिनांक 27.11.17 को सूचना पत्र जारी किया गया था उसमें आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है और वह सरहदी कास्तकार है, जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार सरहदी कास्तकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये ही सीमांकन की कार्यवाही की जा सकती है। "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। पटवारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्तकार आवेदिका को बिना सूचना दिये ही अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया है जिससे नायब

तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.12.17 स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 02/अ—12/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 12—12—2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार गोटेगांव जिला नरसिंहपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सरहददी कास्तकारों को एवं उभयपक्ष को सूचना, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः आदेश पारित करें।

सदस्य